

नियम 62 : ¹[विवरण और विवरणी को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति]

(1) ²[धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला *³[प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति]

³[.....] करने वाला –

- (i) किसी तिमाही या यथास्थिति उसके भाग के लिए, ऐसी तिमाही के उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08** में स्व-निर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण इलेक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।
- (ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष या यथास्थिति उसके भाग के लिए, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आगामी अप्रैल माह के तीसवें दिन तक **प्ररूप जीएसटीआर-4** में विवरणी इलेक्ट्रानिकी रूप में या सीधे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा :]

⁴[.....]

⁵[परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 से आगे के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-4** में विवरणी ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात जून के तीसवें दिन तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।]

(2) ⁶[विवरण प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय कर या ब्याज] अपने दायित्व का निर्वहन इलेक्ट्रानिक रोकड़ बही के नामे डालकर करेगा।

1 अधिसूचना क्रमांक 20/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.04.2019 द्वारा शीर्षक “समिश्र प्रदायकर्ता द्वारा त्रैमासिक विवरणियों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.04.2019)।

2 अधिसूचना क्रमांक 20/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.04.2019 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.04.2019):

"धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर-4** में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर और जहां अपेक्षित हो, ब्यौरों में जोड़कर, उन्हें सही करके या उनका लोप करके **प्ररूप जीएसटीआर-4** में इलेक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा :"

* ये शब्द अंग्रेजी संस्करण को देखते हुए दिये गये हैं।

3 अधिसूचना क्रमांक 82/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा शब्द “या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 189(अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजपत्र विभाग की अधिसूचना सं. 2/2019-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय” विलोपित (प्रभावशील दिनांक 10.11.2020)।

4 अधिसूचना क्रमांक 20/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.04.2019 द्वारा परंतुक विलोपित (प्रभावशील दिनांक 23.04.2019)। दिनांक 13.10.2017 से 22.04.2019 के मध्य यह इस प्रकार था –

“^A[परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उस मास की पहली तारीख से, जो तिमाही का पहला मास नहीं है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, **प्ररूप जीएसटीआर-4** में तिमाही की अवधि के लिए, जिसके लिए उसने धारा 10 के अधीन कर का संदाय किया है विवरणी प्रस्तुत करेगा और वह धारा 10 के अधीन कर का संदाय का विकल्प लेने से पूर्व तिमाही की अवधि के लिए उसे यथा लागू विवरणियां प्रस्तुत करेगा।]”

A पहले यह अधिसूचना क्रमांक 45/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 13.10.2017 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 13.10.2017)।

5 अधिसूचना क्रमांक 12/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

6 अधिसूचना क्रमांक 20/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.04.2019 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.04.2019) :

"उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर, ब्याज, शास्ति, फीस, या अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए।"

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (3) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में निम्नलिखित शामिल होंगे—
- (क) रजिस्ट्रीकृत और गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाययों के अंतर-राज्य और अंतःराज्य के बीजकवार ब्यौरे;
- (ख) की गई जावक प्रदाययों के एकीकृत ब्यौरें;
- (4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने वित्त वर्ष के आरंभ से धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प लिया है, ⁷[.....] जहां अपेक्षित हो, उस अवधि से संबंधित आवक और जावक प्रदाययों और नियम 59, नियम 60 और नियम 61 के अधीन विवरणी के ब्यौरे, जिसके दौरान वह व्यक्ति ऐसे ब्यौरे और विवरणियों को पश्चातवर्ती वित्त वर्ष के सितम्बर मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख, जो भी पूर्वतर हो, प्रस्तुत करने के लिए दायी था, प्रस्तुत करेगा।
- स्पष्टीकरण :** इस उपनियम के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि व्यक्ति प्रदायकर्ता से उसके द्वारा समिश्र स्कीम ⁸[.....] का विकल्प लेने ⁹[.....] से पूर्व अवधि के लिए बीजकों या नामे टिप्पणों पर इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्र नहीं होगा।
- (5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो स्वेच्छा द्वारा समिश्र स्कीम से हटने का विकल्प लेता है या जहां समुचित अधिकारी की पहल पर विकल्प को वापिस ले लिया जाता है वहां आवश्यकता होने पर ¹⁰[ऐसी अवधि जिसके लिए, तिमाही जिसमें प्रत्याहरण की तारीख आती है, के उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक समिश्र स्कीम के अधीन कर का संदाय किया है, के लिए

⁷ अधिसूचना क्रमांक 82/2020 – केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा विलोपित (प्रभावशील दिनांक 11.2020)।

"A[या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 189(अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजपत्र विभाग की अधिसूचना सं. 2/2019-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त किया है]"

A पहले ये शब्द अधिसूचना क्रमांक 20/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.04.2019 द्वारा अंतःस्थापित किये गये थे (प्रभावशील दिनांक 23.04.2019)।

⁸ हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

⁹ अधिसूचना क्रमांक 82/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा विलोपित (प्रभावशील दिनांक 11.2020)।

"A[या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 189(अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 2/2019-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर के संदाय का विकल्प लेने]"

A पहले ये शब्द अधिसूचना क्रमांक 20/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.04.2019 द्वारा अंतःस्थापित किये गये थे (प्रभावशील दिनांक 23.04.2019)।

¹⁰ अधिसूचना क्रमांक 20/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.04.2019 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.04.2019):

"धारा 9 के अधीन कर के संदाय के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-4** में विकल्प लेने से पूर्व अवधि से उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के सितम्बर मास को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख या पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तक के ब्यौरों को प्रस्तुत करेगा।"

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण प्रस्तुत करेगा और वित्तीय वर्ष जिसके दौरान ऐसा प्रत्याहरण आता है की समाप्ति के उत्तरवर्ती अप्रैल मास के 30वें दिन तक उक्त अवधि के **प्ररूप जीएसटीआर-4** में विवरणी प्रस्तुत करेगा।।

(6) ¹¹[.....]

11 अधिसूचना क्रमांक 82/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा उपनियम (6) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 10.11.2020)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

"A[(6) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 189(अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 2/2019-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करना बंद कर दिया है जहां अपेक्षित हो, ऐसी अवधि के लिए तिमाही जिसमें परिवर्तित तारीख आती है से उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक उक्त अधिसूचना के अधीन लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय किया है **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08** में विवरण प्रस्तुत करेगा और वित्तीय वर्ष जिसके दौरान ऐसी परिवर्ती होती है कि समाप्ति के उत्तरवर्ती अप्रैल मास के 30वें दिन तक उक्त अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-4** में विवरण प्रस्तुत करेगा।।"

A अधिसूचना क्रमांक 20/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.04.2019 द्वारा उपनियम (6) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.04.2019)।